

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 1981/पौष 12, 1902
No. 5] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 1981/PAUSA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रूप में
रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 2 जनवरी, 1981

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 6 (अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 152-सीमा-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु, यह तब जबकि उक्त सारणी की क्रम सं० 1 के सामने स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भाग का आयात उसके स्तंभ (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सभी या किसी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया जाता है, और यथास्थिति, आयातकर्ता या विनिर्माता सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अध्याय IX में यथा उपबंधित बन्धपत्र पर विनिर्माण संक्रियाएं ऐसी अन्य बातों के अधीन रहने हुए करना है, जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा इस विनिर्दिष्ट की जाए”।

[सं० 5/का० सं० 370/7/80-सीमा-शुल्क-1]

के० कुमार, प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 152-Customs, dated the 15th July, 1977, namely :—

In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that if the goods specified in column (2) against S. No. 1 of the said Table are imported for the manufacture of all or any of the articles specified in the corresponding entry in column (3) thereof, the importer or the manufacturer, as the case may be, carries out the manufacturing operations in bond, as provided in Chapter IX of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and subject to such other conditions as may be specified by the Assistant Collector of Customs in this behalf.”

[No. 5/F. No. 370/7/80-Cus-1]

K. KUMAR, Under Secy.